प्रकरण संख्या 14/2017

बउनवान

1. मेघराज उम्र वर्ष पुत्र श्री रामचरण जाति किराड़ निवासी नियाना
2. बृजमोहन उम्र वर्ष पुत्र श्री रामचरण जाति किराड़ निवासी नियाना
3. हेमराज उम्र वर्ष पुत्र श्री रामचरण जाति किराड निवासी नियाना तहसील व जिला बारां (राज०)

अपीलांट्स

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र श्री बिरधीलाल जाति किराड निवासी नियाना तह० बारां
2. लोकेश पुत्र श्री प्रेमशंकर जाति किराड़ निवासी नियाना तह० बारां
3. राकेश पुत्र श्री जगन्नाथ जाति किराड निवासी नियाना तह० बारां.
4. धन्नी बाई पत्नि श्री कन्हैयालाल जाति किराड निवासी नियाना तह० बारां
5. मोतीलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति किराड़ निवासी गोपालपुरा तह० बारां
6. लाडबाई पत्नि श्री मुन्नालाल जाति हरिजन निवासी बारां
7. भंवर सिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासीं बारां मृतक

7/1. विमला कुमारी पत्नि स्व. श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी बारां
7/2. पदम सिंह पुत्र स्व. श्री भंवर सिंह जाति राजपूत
7/3. भरत सिंह पुत्र स्व. श्री भंवर सिंह जाति राजपूत
7/4. तंवर सिंह पुत्र स्व. श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासीगण मेलखेडी तिराहा, मांगरोल बाईपास रोड़, बारां जिला बारां (राज०)

8. गोपाल पुत्र श्री सीताराज जाति किराड़ निवासी नियाना तह० बारां
9. भंवरलाल पुत्र श्री धन्नालाल जाति किराड़ निवासी गोपालपुरा तह० बारां
10. रामकरण पुत्र श्री रत्तीलाल जाति किराड़ निवासी गोपालपुरा तह० बारां
11. चाहन्या बाई पत्नि श्री गिर्राज जाति मालव निवासी बारां
12. शंकर पुत्र श्री रामदयाल जाति किराड निवासी नियाना तह० व जिला बारां (राज०)

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.02.2017 न्याया. तहसीलदार, बारां बउनवान मुकदमा जगन्नाथ बनाम मेघराज प्रकरण कमांक 01/2007 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 आर.टी.ए.

उपस्थिति :– 1. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री ओम मेहता II अभिभाषक(रेस्पो0 कम 1 ता 6, 11व 12)

निर्णय दिनांक 11.12.2024

अपीलान्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने एवं ... तरीके से रेस्पो० से मिलीभगत करके प्रकिया, विधि एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत धारा 251 राज०टी० एक्ट के प्रावधानो की अवहेलना कर अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी में बरसाती पानी की निकासी हेतु नाला खुदवाने का अवैधानिक आदेश कर निर्णय दिनांक 27.2.2017 पारित किया है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.02.2017 न्यायालय तहसीलदार बारां

निरस्तनीय है। रेस्पो० कम 1 ता 3 द्वारा दिनांक 9.8.2016 को जिला कलक्टर बारां के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तत्काल जांच करने के आदेश दिये जिस पर आई एल आर [illegible] फतेहपुर ने दिनांक 21.9.2016 को जांच कर मौका देखा, रिपोर्ट में वर्णित है कि रेस्पो० द्वारा बतायी गयी बहताली का अंकन राजस्व रिकार्ड मे नहीं है। प्रार्थना पत्र दिनांक 9.8.2016 के आधार पर तहसीलदार बारां ने धारा 251 राज०टी० एक्ट का विचारण प्रारम्भ कर अपीलान्ट्स को तलब किया। अपीलान्ट्स ने दिनांक 28.12.2016 को उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया, आगामी पेशी 17.1.2017 व 20.01.2017 दी गई जिस पर 11.02.2017 को जवाब पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 11.02.2017 को अपीलान्ट्स ने जवाब प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये और तहसील कार्यालय मे उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया। पत्रावली तारीख पेशी पर नही निकली, इस पर अपीलान्ट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ जवाब पेश किया जिस पर आगामी तारीख पेशी 03.03.2017 नियत की गई। दिनांक 03.03.2017 को अपीलान्ट्स मय अधिवक्ता के उपस्थित हुए. पत्रावली तारीख पेशी पर नही निकली, रीडर ने पत्रावली ढूंढकर तारीख पेशी बताने को कहा, 5 बार पीठासीन अधिकारी से शिकायत भी की गई तो उन्होंने रीडर को बुलाकर पत्रावली ढूँढने को कहा. रीडर द्वारा हर बार आश्वासन दिया कि पत्रावली मिलते ही बता दूँगा, पत्रावली के बारे में 15 बार अपीलान्ट्स के अधिवक्ता ने रीडर से संपर्क किया। रेस्पो० ने पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत करके अपीलान्ट्स के जवाब को पत्रावली में रिकार्ड पर नही लेकर, पत्रावली को गुम बताकर दिनांक 11.02.2017 अपीलान्ट्स व अधिवक्ता के उपस्थित होकर जर्ये प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अपीलान्ट्स व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज कर एकतरफा कार्यवाही किये बिना ही पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जवाब, बावजूद भी मनमाने एंव अनुचित तरीके से जवाब बन्द करने का दिया गया आदेश अन्यायपूर्ण अवैद्यानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेशिका दिनांक 11.02.2017 मे वास्ते मौका निरीक्षण व आदेश हेतु आगामी तारीख पेशी दी गई। मौका निरीक्षण का पत्रावली पर कोई रिकार्ड नहीं है ना ही निर्णय मे मौका निरीक्षण का कोई हवाला है। धारा 251 राज० टी०एक्ट के प्रार्थना पत्र की सुनवायी की प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता ग्राम पंचायत व लोकल बॉडी को है। तहसीलदार बारां को धारा 251 राज०टी० एक्ट के प्रार्थना पत्र की सुनवायी की प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि एव प्रकिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की मर्यादाओ, नियमों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। अवैद्यानिक निर्णय की पालना मे रेस्पो० व राजस्व कर्मचारियो ने अपीलान्ट्स की आराजी मे जे सी बी मशीन से आई एल आर रिपोर्ट दिनांक 2.9.2016 से अधिक आराजी पर नाला खोद कर अपीलान्ट्स की आराजी को कृषि उपयोगहीन कर दिया । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.2.2017 को अपास्त कर अपीलान्ट्स के खाते की आराजी की वाद पूर्व स्थिति रेस्पो० के खर्च से बहाल कराए जाने के आदेश प्रदान करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 6, 11 व 12 जर्ये अभिभाषक [illegible] बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर इस प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 251 राज० टी०एक्ट के प्रार्थना पत्र की सुनवायी की प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता ग्राम पंचायत को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित कर अपीलान्ट्स की खातेदारी की आराजी मे जे सी बी मशीन से नाला खोद कर आराजी को कृषि उपयोगहीन कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका पर अपीलांट्स एवं उनके अभिभाषक की उपस्थिति अंकित नहीं की जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अभिभाषक का वकालतनामा संलग्न है। ना ही अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब को रेकार्ड पर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट्स की आराजी में से नया नाला निर्माण करवाने का अधिकार नहीं है। नया नाला धारा 251 ए आर.टी.ए. के प्रावधानोनुसार कृषक को मुआवजा राशि का भुगतान पश्चात सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार ही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.2.2017 को अपास्त कर अपीलान्ट्स के खाते की आराजी की वाद पूर्व स्थिति रेस्पो० के खर्च से बहाल कराए जाने के आदेश प्रदान करे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बाणगंगा नदी रेस्पोडेन्ट्स के खेतों के पास से गुजर रही है। जिसको बाढ़ राहत के तहत गहरा व चौड़ा किया गया अपीलांट्स ने सरकारी कर्मियों से मिलीभगत कर नदी से निकली 6 फीट उंची मिट्टी को अपने खेत में डलवा लिया जिससे पानी के बहाव का रास्ता रूक गया तथा पूरा पानी रेस्पोडेन्ट्स के खेतों में जमा होने के कारण रेस्पोडेन्ट्स की फसल पानी में डूबने के कारण गलकर नष्ट हो गयी। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आई.एल.आर. वृत्त फतेहपुर को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। आई.एल.आर. फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 01.08.2017 जो कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार की गई है, में अपीलांट्स की सहमति अनुसार खसरा संख्या 61/690 की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे मिट्टी हटवाकर नाली बनाने पर सहमति बनी। उक्त नाली अपीलांट्स की दिनांक 01.08.2017 को मौका रिपोर्ट आई.एल.आर. फतेहपुर पर दी गई सहमति पश्चात ही खुदवाई गई है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट्स की लिखित सहमति, जो कि मौका रिपोर्ट आई.एल.आर. फतेहपुर दिनांक 01.08.2017 पर हस्ताक्षरित है, अनुसार ही पानी की निकासी हेतु नाली बनाई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स पोषणीय नहीं होकर सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय हमारे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:09 IST
Reason: SelfAttested